न्यायालय जिला कलेक्टर एंव प्रथम अपील अधिकारी ,टोंक

प्रकरण संख्या 9/2021

सुरेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री श्रीनारायण शर्मा निवासी डोला का खोडा तहसील मालपुरा जिला–टोक

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 3–3–2021

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना को अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक कार्यालय में दिनांक 3–11–2020 को आवेदन पत्र प्रेषित/प्रस्तुत निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :–

प्रार्थी के द्वारा भेजे गये पत्र दिनांक 16.09.2020 व लीगल नोटिस दिनांक 03.10.2020 .के संदर्भ में आप द्वारा अब तक की गई कार्यवाही व इस संबंध में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय टोंक के कार्यालय से प्राप्त पत्र व अन्य विभाग कार्यालय से प्राप्त पत्रों सत्यलिपि उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा से आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध मे जवाब तलब किया गया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा द्वारा पत्र कमांक 440 दिनांक 3–3–2021 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 438 दिनांक 03.03.2021 से रजिस्टर्ड एडी से सूचना भिजवा दी गयी है जिसकी छाया प्रति संलग्न है। आवेदक को दिये गये पत्र प्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:13:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner